रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022022-233180
CG-DL-E-07022022-233180

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 2022/माघ 18, 1943
No. 472] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 2022/MAGHA 18, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2022

का.आ. 491(अ).—केंद्र सरकार निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथापेक्षित ढंग से उससे संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले लोगों के सूचनार्थ जारी करने का प्रस्ताव करती है; और इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर इस अधिसूचना को समाविष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव केंद्र सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई व्यक्ति इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित रूप में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल पते: sujit.baju@gov.in या diriapolicy-moefcc@gov.in पर प्रेषित कर सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में दिनांक 14 सितंबर, 2006 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (ii) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) प्रकाशित की गई थी, जो उसकी अनुसूची में

शामिल परियोजनाओं, जिनमें अनुसूची के 7(छ) मद के तहत शामिल आकाशीय रज्जुमार्ग शामिल हैं, के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) की आवश्यकता के संबंध में थी;

और, मंत्रालय को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उल्लेख किया गया था कि रज्जुमार्ग देश के परिवहन नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण घटक हैं क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में अंतिम गंतव्य तक संपर्क एवं परिवहन की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रयोग लाए जा सकते हैं और इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा वर्ष 2006 में ही हुई तथा उससे पहले इन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा से बाहर रखा गया था। इसके अलावा, मंत्रालय से उक्त अधिसूचना की समीक्षा करने तथा रज्जुमार्गों को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की अपेक्षा वाली परियोजनाओं से बाहर रखने का अनुरोध किया गया था;

और, सार्वजनिक उपयोगिता वाले रज्जुमार्गों को दिनांक 05.08.2019 के पत्र सं. 5-2/2017-एफसी के अनुसार कुछ शर्तों के अधीन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दायरे से बाहर रखा गया है;

और, इस मामले को मंत्रालय में अवसंरचना सेक्टर संबंधी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के पास विचारार्थ अग्रेषित किया गया था। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, उक्त विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि आकाशीय रज्जुमार्ग पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का साधन है जिसका सड़कों/राजमार्गों की तुलना में पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है और उसने सिफारिश की कि आकाशीय रज्जुमार्ग परियोजनाओं को समय-समय पर निर्धारित कुछ पर्यावरणीय सुरक्षोपायों के अधीन ईआईए अधिसूचना, 2006 के दायरे से बाहर रखा जा सकता है।

अत: अब, पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में, मद संख्या 7 (छ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. आईए 3-1/4/2021-आईए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 2817(अ), तारीख 13 जुलाई, 2021 द्वारा उसमें अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2022

S.O. 491(E).—Whereas, the Central Government proposes to issue following draft notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address at sujit.baju@gov.in and diriapolicy-moefcc@gov.in

Draft Notification

Whereas the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II,

Section 3, Sub-section (ii), regarding requirement of prior Environmental Clearance (EC) for the projects covered in its schedule (hereinafter referred to as the said notification) including aerial ropeways which are covered under item 7(g) of the schedule;

And whereas, the Ministry is in receipt of representation from Ministry of Road Transport and Highways stating that ropeways are an important component of the transport network of the country as it can be used to provide last mile connectivity as well as mobility in hilly areas and the requirement of environmental clearance for these projects came only in 2006 and before that these projects were excluded from the requirement of Environmental Clearance. Further, the Ministry was requested to review the said notification and exclude ropeways from the projects requiring prior EC;

And whereas, Public utility ropeways have been excluded from the ambit of the Forest (Conservation) Act, 1980 subject to certain conditions as per letter F. No. 5-2/2017-FC dated 05.08.2019;

And whereas, the matter was referred to the Expert Appraisal Committee of Infrastructure sector in the Ministry for deliberation. After detailed deliberation the said Expert Committee recommended that aerial ropeway is an environment friendly mode of transport in hilly areas with least impact on environment compared to Roads/ Highways and recommended that aerial ropeway projects may be excluded from the ambit of EIA Notification, 2006 subject to certain environmental safeguards prescribed from time to time.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification:-

In the said notification, item 7(g) and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. IA3-1/4/2021-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 2817(E), dated the 13th July, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.02.07 14:46:55 +05'30'